न्यायालय श्री सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 85 / 2008

वादीगणः—

1. खमा कंवर पुत्री श्री मूलसिंह पत्नि श्री मगसिंह जाति राजपूत निवासी रायमलवाड़ा हाल खिन्दाकोर।
2. उछबकंवर पुत्री श्री मूलसिंह पत्नि श्री हीरसिंह, जाति राजपूत निवासी तापू हाल खिन्दाकोर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. जेताराम पुत्र धोकलराम
2. ओपाराम पुत्र धोकलराम
   जाति विश्नोई निवासी मगरानगर हाणिया
3. मगसिंह पुत्र मूलसिंह
4. मोहनसिंह पुत्र मूलसिंह
5. महेन्द्रसिंह पुत्र मेहराजसिंह
6. भूरसिंह पुत्र मेहराजसिंह
7. सकुन्तला कंवर पत्नी श्री धनसिंह
8. भंवरसिंह पुत्र मेहराजसिंह
9. मु.चन्द्रकंवर बेवा मेहराजसिंह
10. मानसिंह पुत्र कल्याणसिंह
    जाति राजपूत निवासी खिन्दाकोर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

उपस्थितः—

वादीगण :— अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह
प्रतिवादी संख्या 1 व 2 :— अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—::निर्णय::—

दिनांकः—03/02/2020

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी का प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि– तहसील ओसियां के ग्राम खिन्दाकोर की सरहद में खसरा नम्बर 19 रकबा 101 बीघा, खसरा नम्बर 19/1 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 19/2 रकबा 13 बिस्वा, कुल रकबा 101 बीघा 15 बिस्वा भूमि आई हुई है जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की पैतृक भूमि है। उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 से 10 के संयुक्त खातेदारी की है जिसमें वादीगण का 1/6 हिस्सा है। इसी अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि पूर्व खातेदार मूलसिंह के नाम से खातेदारी की आई हुई थी। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/3 हिस्सा जन्म से ही है पूर्व खातेदार मूलसिंह के वंशज है। मूलसिंह के दो पुत्र व दो पुत्रियां कुल चार संतान है। जो मूलसिंह के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी है एवं जिनका जन्म से ही पैतृक भूमि में हक व कब्जा काश्त है। वादीगण ने अपने हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को या अन्य किसी व्यक्ति को हकतर्क नहीं किया था मूलसिंह का देहान्त संवत 2040 में हुआ था। उस समय वादीगण इसी विश्वास में रही कि उनके पिता के उतराधिकार में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के साथ अवश्य ही नाम दर्ज हो गया होगा वादीगण अनपढ पर्दासीन औरते है। जिनको राजस्व रेकर्ड की जानकारी नहीं थी। दिनांक 08.07.2008 को प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त भूमि में अपना 1/6 हिस्सा बताकर अपने हिस्से से अधिक 10 बीघा भूमि का बेचान कर दिया तथा वादीगण को बेदखली की एलानिया धमकी दी। इसलिए वादीगण ने यह वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का पेश किया है। साथ ही उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण द्वारा संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से के रूप में खातेदारी घोषणा हेतु डिक्री चाही है।

वादीगण का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 लम्बे समय से अनुपस्थित के बाद एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित अन्य प्रतिवादीगण फोर्मल पक्षकार है जिनके विरूद्ध वाद में कोई अनुतोष नहीं चाहा है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हो चुका है।

यह है कि पक्षकारान द्वारा लोक अदालत की भावना से एक लिखित राजीनामा वादग्रस्त भूमि बाबत् इस शर्त के साथ प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि में पूर्व खातेदार मूलसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के 1/3 हिस्से में वादीगण का 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण रकबे में 1/6 हिस्सा घोषित किया जावें तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 101 बीघा में वादीगण का 1/6 हिस्सा घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/12 हिस्सा घोषित किया जावें क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 अपना हिस्सा उक्त भूमि में से

सहायक कलेक्टर ओसियां

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेचान कर चुका है तथा प्रतिवादी संख्यां 1 व 2 उसका हिस्सा खरीद चुके है। जिसके बेचान की रजिस्ट्री वाद में पेश की हुई है। प्रतिवादी संख्या 4 को 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें।

यह है कि उपरोक्त पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को तस्दीक किया गया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि पूर्व खातेदार मूलसिंह के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 है तथा वादी संख्या 3 द्वारा खसरा नम्बर 19 रकबा 101 बीघा में से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामा भूमि बेचान कर रखी है तथा राजीनामा अनुसार घोषिणा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः राजीनामा अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 101 बीघा, खसरा नम्बर 19/1 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 19/2 रकबा 13 बिस्वा ग्राम खिन्दाकोर तहसील ओसियां में वादीगण को 1/6 हिस्से के रूप में तथा खसरा नम्बर 19 रकबा 101 बीघा ग्राम खिन्दाकोर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को प्रतिवादी संख्या 3 के स्थान पर 1/12 हिस्से के रूप में खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री जारी की जाती है इसी आशय का डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 03/02/2022 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, ओसियां
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिगरी

डिगरी ब मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑडर 21, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

बइजलास **रतनलाल रेगर आर.ए.एस.**

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
खमा कंवर वगैरा		जेताराम वगैरा

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए आर.टी. एक्ट

वाद संख्याः– 85/2008

राजीनामा अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 101 बीघा, खसरा नम्बर 19/1 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 19/2 रकबा 13 बिस्वा ग्राम खिन्दाकोर तहसील ओसियां में वादीगण को 1/6 हिस्से के रूप में तथा खसरा नम्बर 19 रकबा 101 बीघा ग्राम खिन्दाकोर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को प्रतिवादी संख्या 3 के स्थान पर 1/12 हिस्से के रूप में खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री जारी की जाती है।

निज............................ मुबलिग.......................................बाबत्.............................. खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.. को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03/02/2020 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

मोहर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मतफरकत		
मीजान			मीजान		

नोट:– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner